न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2023	2023/4	02.01.2023	22.07.2024

1.कृष्णा पत्नी स्व0 मदन जोशी, जाति ब्राह्मण निवासी, मालाखेडा, जिला अलवर राज०।

——अपीलान्टा

बनाम

1.ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र मनफूल मेघवाल, निवासी मालाखेडा, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0 दिनांक 12.10.2022 प्रकरण संख्या 19/2022।

उपस्थितः—

01.श्री गोविन्द राम यादव —वकील अपीलाण्टा

02.श्री राकेश शर्मा —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0 दिनांक 12.10.2022 प्रकरण संख्या 19/2022 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि ओमप्रकाश ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत आराजी खसरा नंबर 1853/4959 रकबा 0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा जिला अलवर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी हैं जिस पर करीब 0.01 हैक्टेयर पर अप्रार्थी ने पाटोल का निर्माण कर रखा हैं प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य हैं जिस आधार पर प्रार्थीया की आराजी से कब्जा हटवाया जावे। जिस प्रार्थना पत्र को इकतरफा बहस सुन दिनांक 12.10.2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील निरस्त वजूहात के साथ न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

रैस्पाडेन्ट ने आराजी से कब्जा हटवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि मौका रिपोर्ट व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 1853/4959 में 0.01 हैक्टेयर पर पाटोल निर्माण बताया है। मिन अपीलान्टा प्रार्थीया ने कोई नाजायज कब्जा नही किया अपीलान्ट ने आराजी खसरा नंबर 1853 व 1851 में पाटोल का निर्माण किया हुआ हैं जो आराजी खसरा नंबर 1853/4959 से लगती हुई है जो निर्माण करीब 30 वर्ष से भी पुराना है। मिन अपीलान्टा प्रार्थीया का निर्माण आराजी खसरा नंबर 1853, 1851 में स्थित हैं जिसकी पैनेल्टी रसीद प्रार्थीया व उसके पति मदन जोशी के नाम से हैं जो दिनांक 29.08.2001 सिवाय चक 2.50/— व दिनांक 23.03.02 रसीद व 086977 तथा रसीद व 93736 दिनांक 15.10.05 हैं तथा प्रार्थीया द्वारा खसरा नंबर 1853/4959 में कोई निर्माण कार्य नही कर रखा है इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी खारिज होने योग्य था। जो तथ्य भी काबिल गौर अदालत श्रीमान है। प्रार्थना पत्र इकतरफा बहस सुन फैसल किया गया जिसमें प्रार्थीया /अपीलान्टा को सुना नही गया व ना ही प्रार्थीया व पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आराजी खसरा नंबर 1853/4959 रकबा 0.38 हैक्टेयर पर ओमप्रकाश द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही हैं जो मुख्य सडक से रास्ते लेने हेतु प्रार्थीनी अपीलान्टा को उसके कब्जे की आराजी से बेदखल करने की नियत से मिथ्या रिपोर्ट से बेदखल करने की जुस्तजू में है।

पटवारी हल्का व तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट अपीलान्टा की गैर मौजूदगी में दी थी तथा अपीलान्ट की आराजी की पैमाईश भी नही की व ना ही पैनेल्टी रसीद का हवाला दिया। अपीलान्टा अपनी आराजी पर काबिज हैं तथा रैस्पाडेन्ट की कोई आराजी नहीं दवाई हैं जो तथ्य काबिल गौर अदालत श्रीमान है। दीगर वजूहात वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। निर्णय तहसीलदार मालाखेडा का है जिसकी अपील अदालत श्रीमान के द्वारा श्रवणयोग्य है। निर्णय दिनांक 12.10.2022 का हैं जिसकी अपील दफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश है। अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2/– रूपये चस्पा है। अतः अपील अपीलान्टा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर निर्णय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 12.10.2022 निरस्त फरमाया जावे व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हो प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रिकॉर्ड के अनुसार आराजी न0 853/1459 की खातेदारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा उस पर अवैध करने वाला सामान्य जाति का व्यक्ति है। न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित निर्णय नियमों के क्रम में विधिवत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर